राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//the.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांकः एफ 4(316) आयो/आकाशि/एसएफएस/2021/930 दिनांक 12 नवम्बर 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विषय/पाठ्यक्रम/संकाय आरंभ करने बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर विषय/पाठ्यक्रम/संकाय आरंभ करने हेतु महाविद्यालय विकास समिति से अनुमोदन उपरांत जनवरी–मार्च के मध्य निम्न बिन्दुओं की पूर्ती के साथ पूर्ण प्रस्ताव आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पूर्व महाविद्यालय में विषय/पाठ्यक्रम/संकाय आरंभ करने की स्वीकृति जारी की जा सके। उक्त समयावधि के पूर्व व पश्चात भिजवाये गये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

1. महाविद्यालय विकास समिति के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
2. महाविद्यालय विकास समिति द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति।
3. यूजी/पीजी स्तर पर खोले जाने वाले विषय की सूची ।
4. यूजी स्तर पर संचालित विषयों की सूची एवं स्नातक स्तर पर स्थायी संम्बद्धता का प्रमाण पत्र ।
5. आगामी तीन वर्षो का आय व्यय विवरण (आवर्ती व अनावर्ती में दर्शाये) ।
6. प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं प्रस्तावित शुल्क का विवरण।
7. प्राचार्य द्वारा शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों/कक्षाकक्ष/उपकरण/वित्त /एवं अन्य व्यवस्था अपने स्तर पर की जावेगी, इसका अंडरटेकिंग प्रमाण पत्र ।
8. स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने वाले विषयों का अध्यापन कार्य सेवानिवृत व्याख्याताओं से नियमानुसार भुगतान पर या महाविद्यालय में कार्यरत नियमित सह/सहायक आचार्य से बिना किसी अतिरिक्त परिश्रमिक भुगतान पर करवाये जाने की अंडरटेकिंग ।

भवदीया
दीपाली भार्गव
(डॉ. दीपाली भार्गव)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 4(316) आयो/आकाशि/एसएफएस/2021/ 931 दिनांक 12 नवम्बर 2021

प्रतिलिपिः– वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।

दीपाली भार्गव
संयुक्त निदेशक (आयोजना)